न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 09/2018

राजस्थान सरकार जरिये भागचन्द गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

1. रतन सिंह पुत्र श्री भैरूसिंह
निवासी–ग्राम खेडी, पं0 करांटी
भिनाय, जिला– अजमेर। ....अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
2. श्री पुखराज तुनगरिया, केदारनाथ डीडवानिया अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 27.06.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी के गैरेज पर अवैध गैस रिफलिंग की सूचना पर दिनांक 18.02.2018 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (द्वितीय) के नेतृत्व में प्रार्थी, हेमन्त आर्य, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर पहूँच कर जाचं किये जाने पर मौके पर अप्रार्थी, मारूती अल्टो कार RJ 23 CA 0913 में बैटरी चालित रिफिलिंग पम्प के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफलिंग करता पाया गया। वक्त जांच अप्रार्थी के घर पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	221631	BPCL	14.2	15-2	1-00	Domestic

01 रिफलिंग पम्प, बैटरी, रेग्युलेटर, तथा रिफलिंग पाईप पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में दुरूपयोग एलपीजी आदेश 2000 की धारा 3 (1) (c) की अवेहलना है। इस तरह से प्रकरण अवैध गैस रिफिलिंग का पाये जाने पर मौके से 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग पम्प, बैटरी, रेग्युलेटर, तथा रिफलिंग पाईप एवं एक मारूती अल्टो कार RJ 23 CA 0913 को राज हित में कब्जेराज लेकर जप्त सामग्री गोविन्द सिंह परिहार पुत्र श्री हरिराम परिहार नन्द हरि भारत गैस एजेन्सी, बान्दनवाडा को तथा मारूती अल्टो कार RJ 23 CA 0913 को रामाकिशन (हैड कॉनिस्टेबल) पुत्र श्री रामजीवन जाट हाल थाना भिनाय को सुपुर्दगी में दिया गया। जब्त सामग्री को 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग पम्प, बैटरी, रेग्युलेटर, तथा रिफलिंग पाईप एवं एक मारूती अल्टो कार RJ 23 CA 0913 को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी द्वारा जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के गैरेज पर अवैध गैस रिफलिंग की सूचना पर दिनांक 18.02.2018 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (द्वितीय) के नेतृत्व में प्रार्थी, हेमन्त आर्य, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

पर पहूँच कर जाचं किये जाने पर मौके पर अप्रार्थी, मारूती अल्टो कार RJ 23 CA 0913 में बैटरी चालित रिफिलिंग पम्प के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफलिंग करता पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में दुरूपयोग एलपीजी आदेश 2000 की धारा 3 (1) (c) का स्पष्ट उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 6 ए स्वीकार कर मौके से जप्त समस्त सामग्री 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग पम्प, बैटरी, रेग्युलेटर, तथा रिफलिंग पाईप एवं एक मारूती अल्टो कार RJ 23 CA 0913 को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जब्त वाहन मारूती अल्टो कार RJ 23 CA 0913 को छोडने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी, मारूती अल्टो कार RJ 23 CA 0913 में बैटरी चालित रिफिलिंग पम्प के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफलिंग करता पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में दुरूपयोग एलपीजी आदेश 2000 की धारा 3 (1) (c) का स्पष्ट उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है मौके से जप्त समस्त सामग्री 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग पम्प, बैटरी, रेग्युलेटर, तथा रिफलिंग पाईप राजसात किया जाता है। घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफलिंग के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के प्रावधानों के तहत वाहन RJ 23 CA 0913 पर रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार मात्र) की जुर्माना राशि कायम की जाती है। राशि जमा होने पर उपरोक्त वाहन के किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो बाद स्वामित्व सन्तुष्टी के सम्बन्धित को सोंप दिया जावे। चूंकि जप्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

कार्यालय जिला कलक्टर, अजमेर